न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 29/2020

विजयसिंह पुत्र हरिशचन्द्र जाति जाट उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम कुमावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

—— वादी

बनाम

1. मुकेश कुमार पुत्र हरिशचन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम कुमावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)
2. सन्तोष देवी पत्नी हरिशचन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम कुमावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)
3. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नवलगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक
4. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वकील वादी – श्री प्रदीप कुमार

वाद बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड

निर्णय

दिनांक– 24.02.2020

वादी द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम कुमावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद मे आराजी नये खसरा नम्बर 18 रकबा 1.7000 हैक्टर, खसरा नम्बर 21 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 723/13 रकबा 1.0900 हैक्टर, खसरा नम्बर 725/22 रकबा 0.8700 हैक्टर स्थित है । उक्त आराजी मे 1/3 हिस्सा वादी का व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का है। इसी अनुसार कब्जा काश्त है । उक्त वाद मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य हक हिस्से का लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नही है।

वादी का सही व वास्तविक नाम विजय सिंह है, जो वादी के शिक्षा रिकॉर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र व अंक तालिका मे, भारतीय पासपोर्ट विभाग द्वारा जारी पासपोर्ट मे, आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी लेख संख्या कार्ड (**PAN Card**) में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड मे व परिवार राशन कार्ड मे दर्ज है । परन्तु वादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेख मे

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

वादी का नाम विजेश कुमार गलत दर्ज कर दिया है जो कि राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो ने वादी के नाम का सही सत्यापन किये बिना दर्ज किया है । स्व. हरिशचन्द्र के दो पुत्र वादी विजय सिंह, व मुकेश है । स्व. हरिशचन्द्र के विजेश कुमार नाम का कोई पुत्र है । विजेश कुमार व विजय सिंह उक्त दोनो नामो का एक ही व्यक्ति वादी है । वाद पत्र की मद संख्या 1 मे दर्ज आराजी के राजस्व अभिलेख मे वादी का गलत नाम विजेश कुमार दर्ज होने से वादी को राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा जारी कृषि अनुदानित स्कीमो का लाभ प्राप्त नही कर सकता है । वादी उक्त स्कीमो की लाभ से वंचित हो जाता है व उक्त राजस्व अभिलेख गलत रहने से वादी को अन्य काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उक्त आराजी रिकॉर्ड का दुरूस्त किया जाना आवश्यक है । जिसके लिए उक्त वाद श्रीमान जी की सेवामें पेश है। वादी का सही व वास्तविक नाम विजय सिंह है परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने वादी के पिता हरिशचन्द्र की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी के सही नाम का सत्यापन किये बिना ही वादी को नाम विजेश कुमार गलत दर्ज कर दिया । वादी के अन्य उपरोक्त वर्णित सभी दस्तावेजात मे वादी का नाम विजय सिंह है । स्व. हरिश कुमार के विजेश कुमार नाम का कोई पुत्र नही रहा है । स्व. हरिशचन्द्र के दो पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ही है विजेश कुमार व विजय सिंह नाम का व्यक्ति वादी है। इसलिए उपरोक्त वर्णित आराजी के राजस्व अभिलेख मे विजेश कुमार के स्थान पर वादी विजय सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरस्त किया जाना आवश्यक है । जिसके लिए उक्त वाद राजस्व अभिलेख मे श्रीमान जी की सेवामें पेश है ।

वादी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए आवेदन किया तो उक्त राजस्व अभिलेख व वादी के अन्य दस्तावेजात के नाम की भिन्नता होने से वादी का आवेदन अस्वीकार कर दिया तब वादी को दिनांक 25.01.2020 को उक्त राजस्व अभिलेख की जानकारी हुई जिसके तुरन्त पश्चात वादी की ओर से उक्त वाद श्रीमान जी की सेवामें पेश है । उक्त वाद की विषय वस्तु अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार मे स्थित है तथा वाद पत्र मे चाहा गया अनुतोष भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के वर्णित होने से उक्त वाद अदालत हाजा को सुनने का पूरा – पूरा क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उक्त वाद 2/– रूपये कोर्ट फीस पर पेश है ।

वादी द्वारा वाद पत्र पेश कर अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि कुमावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद मे आराजी नये खसरा नम्बर 18 रकबा 1.7000 हैक्टर, खसरा नम्बर 21 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 723/13 रकबा 1.0900 हैक्टर, खसरा नम्बर 725/22 रकबा 0.8700 हैक्टर मे विजेश कुमार के 1/3 हिस्से के स्थान पर वादी विजय सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त फरमाया जावे । निर्णय व डिकी के अनुसार राजस्व अभिलेख मे अमद दरामद करने हेतु प्रतिवादी संख्या 4 को आदेशित किया जावे ।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 स्वयं उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया तथा सहमति प्रदान की वाद वादी स्वीकार किया जाता है तो कोई आपति नही है। प्रतिवादी नम्बर 4 तहसीलदार नवलगढ की ओर से राज पैरोकार उपस्थित। तहसीलदार नवलगढ द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर वाद में अंकित तथ्यों को सही बताया है। तथ उभय पक्ष भी वाद स्वीकार करने हेतु सहमति प्रदान की गई है। पत्रावली में शहादत वादी में वादी विजय सिंह का मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बहस के तथ्यो पर मनन किया गया। उभय पक्ष द्वारा वाद स्वीकार करने की सहमति प्रदान करने एवं तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट के अनुसार वाद पत्र में वर्णित तथ्यों सही होने से वाद वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वाद स्वीकार किया जाता है।

–: आदेश :–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कुमावास की सरहद मे आराजी नये खसरा नम्बर 18 रकबा 1.7000 हैक्टर, खसरा नम्बर 21 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 723/13 रकबा 1.0900 हैक्टर, खसरा नम्बर 725/22 रकबा 0.8700 हैक्टर मे विजेश कुमार के 1/3 हिस्से के स्थान पर विजयसिंह पुत्र हरिशचन्द्र जाति जाट निवासी कुमावास दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास तोगडाकला

मुरारी लाल शर्मा (आर०ए०एस०) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड

मुकदमा सं0:– 29/2020 (विजय सिंह बनाम मुकेश कुमार वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर॰ ए॰ एस॰),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक **24.02.2020** निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम कुमावास की सरहद मे आराजी नये खसरा नम्बर 18 रकबा 1.7000 हैक्टर, खसरा नम्बर 21 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 723/13 रकबा 1.0900 हैक्टर, खसरा नम्बर 725/22 रकबा 0.8700 हैक्टर मे विजेश कुमार के 1/3 हिस्से के स्थान पर विजयसिंह पुत्र हरिशचन्द्र जाति जाट निवासी कुमावास दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

जिन...........–............ मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह. ....–.......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–..........का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **24** माह **02** सन **2020** को जारी की गई।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ उपखण्ड अधिकारी
मोहर नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बावत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	2.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	05.00		0.00

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.03.20 12:38:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: